1. तीरथ प्रसाद उम्र 50 वर्ष पेशा- नौकरी एवं कृषि R-1722-II/2010

2. पुरुषोत्तम दास उम्र 48 वर्ष पेशा- कृषि प्रायवेट नौकरी

3. रामकुमार उम्र 45 वर्ष पेशा- नौकरी एवं पेशनर

4. उग्रसेन उम्र 30 वर्ष पेशा- कृषि

पुत्र गण बद्री प्रसाद अग्निहोत्री

5. बेवा जगमंती अग्निहोत्री पत्नी स्व0 बद्री प्रसाद अग्निहोत्री

उम्र 75 वर्ष पेशा- कृषि

समस्त निवासी गण ग्राम कदौहा पूर्व तहसील सिरमौरवर्तमानसेमरिया

थाना सेमरिया, जिला रीवा (म0प्र0) --- निगरानी कर्ता गण

बनाम

1. मंगल दीन तनय मोतीलाल लावल्द फौत वारिस सगे भाई नं02 व 3

2. केदार प्रसाद तनय मोतीलाल

3. बैजनाथ प्रसाद तनय मोतीलाल

सभी निवासी ग्राम कदौहा तहसील सिरमौर वर्तमान सेमरिया

जिला रीवा (म0प्र0) -- गैर निगरानी कर्ता गण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

1959 ई0

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक

11/05/09 प्र0क्र0 223/अपील/85-86 न्यायालय

अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा

मान्यवर,

निगरानी के आधारनिम्नलिखित है:-

1. ... है कि अधीनस्थ न्यायालय नायबतहसीलदार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1722–दो/2010 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19–8–2016	आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 223/अपील/1985–86 में पारित आदेश दिनांक 11–5–2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार सेमरिया तहसील सिरमौर के न्यायालय में बद्री प्रसाद के द्वारा आराजी कमांक 133/337, 132, एवं 133 के इत्तलाबी बावत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 02/अ–74/81–82 में पारित आदेश दिनांक 02–2–85 के द्वारा आवेदन पत्र निरस्त किया। जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सिमौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने प्रकरण कमांक 48/अ–6/84–85 में पारित आदेश दिनांक 20–2–86 के द्वारा अपील निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 11–5–09 के द्वारा अपील सारहीन होने से निरस्त की। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध बद्रीप्रसाद के वारिसों द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के	

अभिलेखों का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि बद्री प्रसाद द्वारा इत्तलाबी दर्ज करने हेतु आवेदन नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो प्रकरण कमांक 02 / अ–74 / 81–82 पर दर्ज हुआ, जो आदेश दिनांक 02–2–85 द्वारा निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि आदेश दिनांक 27–8–54 के पश्चात दूसरा आदेश दिनांक 9–11–56 को पारित किया गया है अतः दिनांक 9–11–56 के आदेश के विरूद्ध कोई अन्य आदेश किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो, ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं है। ऐसी स्थिति में दिनांक 27–8–54 के बाद जब दुबारा आदेश दिनांक 9–11–56 को पारित हो चुका है तब 27–8–54 के आधार पर अभिलेखों के संशोधन करने का प्रश्न नहीं है। इतनी लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत आवेदक पूर्व के आदेश के कियान्वयन कराना चाहते हैं जो न्यायिक एवं वधिक दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश मूल आदेश की संज्ञा में नहीं माना जा सकता क्योंकि यह एक प्रशासनिक आदेश है। मूल आदेश के कियान्वयन के संबंध में नये सिरे से काई प्रकरण चालया नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण में ऐसी स्थिति विद्यमान नहीं है कि मूल आदेश के अनुसार कियान्वयन न हुआ हो। नायब तहसीलदार ने मूल आदेश के कियान्वय्रन के संबंध में जो आदेश दिया है उसे न तो मूल आदेश माना जा सकता है और

न ही आदेश त्रुटिपूर्ण है। अनुविभागीय अधिकारी ने नायब तहसीलदार के आदेश को उचित माना है। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुये कि चूंकि नायब तहसीलदार का आदेशदिनांक 9–11–56 अंतिम हो गया और उसी के अनुसार इत्तलाबी सही मानी है तथा आवेदक के पिता की जानकारी भी पूर्व से ही होना विदित है फिर इतने वर्षों बाद इत्तलाबी हेतु आवेदन प्रस्तुत करना अनौचित्यपूर्ण है। नायब तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित विधिसंगत आदेश को अपर आयुक्त द्वारा उचित माना है और अपील सारहीन होने से निरस्त की है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य